मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-6

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 7 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 16, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 97 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 103 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे

सभापति महोदय (श्री इंद्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले की कराहल तहसील के ग्राम पातालगढ़ में सर्प काटने से एक व्यक्ति की मौत होने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने प्रदेश में अनुपयोगी कंडम वाहनों का संचालन होने,

(3) श्री ध्रुव प्रताप सिंह, सदस्य ने कटनी जिले में सूखा होने,

(4) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य ने सागर जिले के जैसी नगर में पेयजल हेतु पाईप लाईन न डाली जाने,

(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने राजधानी भोपाल में वाहनों की चोरी होने,

(6) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले में फर्जी दस्तावेज तैयार कर आवेदकों से करोड़ो रूपये लिये जाने,

(7) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य ने राजगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भियापुरा खरना में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(8) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य ने दतिया जिले के कृषकों को शुगर फैक्ट्री द्वारा कई वर्षो से भुगतान न किये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

(9) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नदी नालों में टैकरों द्वारा अपशिष्ट रसायन छोड़े जाने से नदियां प्रदूषित होने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, ऊर्जा मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(1) क्रमांक-1740-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 12 जुलाई, 2006,
(2) क्रमांक-1907 - मप्रविनिआ -2006, दिनांक 28 जुलाई, 2006,
(3) क्रमांक-2012-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 11 अगस्त, 2006,
(4) क्रमांक-2377-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 25 सितम्बर, 2006,
(5) क्रमांक-1975 / मप्रविनिआ / 06, दिनांक 5 अगस्त, 2006,
(6) क्रमांक/2075-मप्रविनिआ /06, दिनांक 22 अगस्त, 2006,
(7) क्रमांक-2187-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 1 सितम्बर, 2006,
(8) क्रमांक-2305 /विनिआ /2006, दिनांक 18 सितम्बर, 2006,
(9) क्रमांक-2306-मप्रविनिआ -2006, दिनांक 18 सितम्बर, 2006, तथा

(2) श्री गोपाल भार्गव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड का 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

सभापति महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधानसभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही उनका अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों, केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने विदिशा जिले के ग्राम सायर में दलितों की भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सर्वश्री रामनिवास रावत, राजेश पटेल, सदस्य ने प्रदेश के कृषकों को खाद एवं बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना नगर में लूट एवं हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्रीमती अलका जैन, सदस्य ने कटनी जिला समन्वयक शिक्षा मिशन एवं जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर अपात्र व्यक्ति की पदस्थापना किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 156, कुरवाई से निर्वाचित सदस्य श्री श्यामलाल पंथी को, तथा

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 221, सैलाना से निर्वाचित सदस्य, श्री प्रभुदयाल गेहलोत को,

विधान सभा के अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र की बैठकों से सदन की अनुमति से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ.कमलापत आर्य, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का नवम्, दशम्, एकादश एवं द्वादश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने मुरैना जिले के -

(क) उप तहसील पहाड़गढ़ को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाये जाने,

(ख) पहाड़गढ़ नगर में महाविद्यालय खोले जाने,

(ग) ग्राम धोंधा व कन्हार स्थित माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(घ) ग्राम बरेड़ स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(ड) ग्राम चिन्नौनी करैरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने उज्जैन जिले के नागदा नगर में उर्दू माध्यम का हाई स्कूल खोले जाने, तथा

(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के हनुमना तहसील मुख्यालय में सिविल न्यायालय खोले जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

8. वक्तव्य

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने दिनांक 31 अक्टूबर 2006 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 326) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री इंद्रजीत कुमार

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार

(3) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(1.00 बजे से 2.37 बजे तक अन्तराल)

सभापति महोदय (श्री इंद्रजीत कुमार) पीठासीन हुए.

(4) श्री सज्जन सिंह वर्मा

(5) श्री रामलखन शर्मा

(6) श्रीमती रंजना बघेल

(7) श्री लवकेश सिंह

(8) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(9) डॉ. सुनीलम्

(10) डॉ. गोविन्द सिंह
(11) श्री रामनिवास रावत
(12) श्री राजेन्द्र शुक्ला
(13) श्री बृजमोहन धूत
(14) श्री मनमोहन शाह "बट्टी"
(15) श्री दिलीप सिंह परिहार
(16) श्री नारायण त्रिपाठी
(17) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(18) श्री नारायण परमार

श्री तुकोजीराव पवार, उच्च शिक्षा, राज्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड-3 में इस प्रकार संशोधन किया जाय -

खण्ड-3 के उपखण्ड (2) की प्रथम पंक्ति में शब्दावली "मुख्यालय उज्जैन में होगा" के स्थान पर शब्दावली "मुख्यालय रीवा में होगा" प्रतिस्थापित की जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

खण्ड-३ पर मत विभाजन हुआ प्रस्ताव के पक्ष में ८ मत तथा विपक्ष में ५८ मत प्राप्त हुए।

मत विभाजन द्वारा संशोधन अस्वीकृत हुआ।
खण्ड-३ विधेयक का अंग बना।
खण्ड 2 तथा 4 से 38 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा ने प्रस्ताव किया कि महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (क्रमांक 23 सन् 2006) पारित किया जाय।

(श्री रामलखन शर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री मनमोहन शाह बट्टी, डॉ. सुनीलम् तथा विजय बहादुर सिंह बुंदेला सदस्य ने उनकी डिवीजन की मांग न माने जाने एवं बहुमत के आधार पर विधेयक पारित करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 24 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(3) श्री रामनिवास रावत

(4) श्री ओमप्रकाश पुरोहित

(5) श्री लवकेश सिंह

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि प्रश्न यह है कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 24 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

(श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य ने विधेयक पर विचार करने के पूर्व डिवीजन की मांग की)

विधेयक के विचार करने के पक्ष में 60 मत प्राप्त हुए तथा विपक्ष में 9 मत प्राप्त हुए।

मत विभाजन द्वारा विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,4,5,6 तथा 7 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 24 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

05.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 8 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 17, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.